न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः- अरूण कुमार जैन (आर.ए.एस.)

राजस्व मूल वाद संख्याः- 729/2024
जीसीएमएस नम्बर :-2024/01671

शिवलाल पुत्र श्री शंकर लाल जाट, उम्र वयस्क, निवासी जोधामण्डेल का खेडा, ट्रांसपोर्ट नगर, भीलवाडा (राज.)

----वादीगण

-: बनाम :-

1- श्रीमती रामकन्या पत्नी श्री शिवलाल जाट पुत्री श्री हीरालाल जाट, उम्र 31 वर्ष निवासी जोधामण्डेल का खेडा, ट्रांसपोर्ट नगर, भीलवाडा (राज.) हाल निवासी तेजाजी चौक के पास, भीलवाडा।

2- धर्मराज गुर्जर पुत्र श्री सोहनलाल गुर्जर, उम्र वयस्क, निवासी भालोटा की खेडी, तहसील राशमी, जिला चितौडगढ।

3- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाडा।

4- उपपंजीयक, भीलवाडा।

----प्रतिवादीगण

वादपत्र बाबत घौषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88, 89 ,92-क, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता

उपस्थित-

1. श्री राकेश जैन अभिभाषक वादी
2. श्री भैरूलाल बाफना अभिभाषक प्रतिवादी सं0 2
3. सरकारी पैरोकार उपस्थित।

-: निर्णय :- दिनांक 18/3/26

1. संक्षिप्त में प्रकरण के सारवान तथ्य इस प्रकार है कि- वादीगण ने जरिये अधिवक्ता दिनांक 01.08.2024 को इस न्यायालय के समक्ष एक दावा बाबत् घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया जो रिपोर्ट उपरान्त दिनांक 30.08.2024 को वाद संख्या 729/2024 बउनवानी शिवलाल बनाम श्रीमती रामकन्या वगैरह दर्ज रजिस्टर कर विधिक प्रक्रिया प्रारम्भ की गई।

2. प्रतिवादी संख्या 2 धर्मराज गुर्जर ने जरिये अधिवक्ता दिनांक 23.12.2025 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सी0पी0सी0 प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल है।

18/3/26
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

3. प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने प्रार्थना पत्र में इस आशय का कथन किया कि- ग्राम बोरड़ा पटवार हल्का गठीलाखेड़ा में स्थित आराजी संख्या 1356 रकबा 1.7829 हेक्टेयर (7 बीघा 1 बिस्वा) भूमि पूर्व खातेदार डूंगरसिह के वारिसान में से गोविन्दसिंह पुत्र डूंगरसिंह, दशरथ कंवर, दलपत कंवर पुत्रियां डूंगरसिंह, पारस कंवर बेवा डूंगरसिंह ने अपना 4/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 श्रीमती रामकन्या पत्नी शिवलाल जाट पुत्री हीरालाल जाट निवासी जोधामण्डेल का खेड़ा को रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से विक्रय कर दिया जो उसके नाम पर राजस्व अभिलेख में बतौर खातेदार दर्ज हो गयी। इस प्रकार उक्त भूमि प्रतिवादी स. 1 की स्वअर्जित सम्पत्ति थी और उसी का कब्जा इस भूमि पर चला आ रहा था। वादी का आराजी नंबर 1356 के 4/5 हक हिस्से की भूमि पर कभी भी अधिकार आधिपत्य नहीं रहा था । प्रतिवादी स. 1 इस भूमि सीमित स्वामी नहीं होकर इसकी पूर्ण स्वामी थी।

प्रतिवादी सं. 1 को अपनी जायज जरूरत में रूपयों की आवश्यकता होने से उसने 30,20,000/- रूपये मुझ प्रतिवादी संख्या 2 से प्राप्त कर इसके बिल एवज अपनी स्वअर्जित आराजी नम्बर 1356 के 4/5 हक हिस्से की भूमि को मुझ प्रतिवादी संख्या 2 धर्मराज गुर्जर को दिनांक 18-07-2023 को विक्रय कर विक्रयपत्र का पंजीयन मुझ प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में करा कर इस भूमि पर मुझ प्रतिवादी सं. 2 का अधिकार अधिपत्य करा दिया था। यह भूमि मुझ प्रतिवादी संख्या 2 के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज हो गयी है।

चूंकि उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की स्वअर्जित भूमि थी जिसने सप्रतिफल उक्त भूमि का पंजीकृत विक्रय मुझ प्रतिवादी संख्या 2 को किया है और किसी भी पंजीकृत विक्रयपत्र को शून्य व अवैध घोषित करने का कोई भी अधिकार माननीय राजस्व न्यायालय को नहीं होता है और वादी को कोई कारणवाद भी उत्पन्न नहीं होता है जिससे वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त वादपत्र इसी स्तर पर निरस्त कराया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थना है कि वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त वादपत्र कारणवाद एवं क्षेत्राधिकार के अभाव में इसी स्तर पर निरस्त कराया जावे ।

4. उक्त प्रार्थना पत्र की नकल वादी अधिवक्ता को दिलाई गई परन्तु वादी अधिवक्ता ने लिखित जवाब पेश न करके सीधे बहस करने हेतु निवेदन किया।

5. उभय पक्षकारान् की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दौहराते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि वादी का वाद पत्र वादकारण व क्षेत्राधिकार के अभाव में आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 से बाधित/प्रभावित है। विवादित भूमि प्रतिवादिया संख्या

20/3/26
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

1 की स्व-अर्जित सम्पत्ति थी जिसको अपनी स्व-अर्जित सम्पत्ति का हर प्रकार से उपयोग-उपभोग करने, विक्रय-हस्तान्तरण, अनुबन्ध, बख्शीश, वसीयत, रहन, मोरगेज इत्यादि करने के समस्त विधिक अधिकार प्राप्त थे और प्रतिवादिया संख्या 1 ने अपने विधिक अधिकारो का प्रयोग करते हुए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये प्रतिवादी संख्या 2 को भूमि विक्रय की थी। प्रतिवादी संख्या 2 ने मुल्यवान प्रतिफल राशि प्रतिवादी संख्या 1 को भुगतान करके मौके पर कब्जा वास्तविक रूप से प्राप्त किया था और रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के रूप में मौके पर काबिज काश्त चला आ रहा है, इत्यादि तर्को के आधार पर धारा 151 सी0पी0सी0 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसी स्तर पर वादी का वाद अस्वीकार कर खारिज करने हेतु निवेदन किया।

7. विद्वान अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 2 की ओर अपने तर्को के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये, जिनका सम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया-

न्यायिक दृष्टान्त आर.बी.जे.(4) 1997 पेज 201 अपील नम्बर 152/92 हीरालाल बनाम केशरिया निर्णीत दिनांक 13.02.1997 में माननीय राजस्व मण्डल की खण्डपीठ ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित फरमाया कि HINDU SUCCESSION ACT 1956- SECTION 14- FEMALE HINDU WILL BE FULL OWNER OF THE PROPERTY POSSESSED BY HERWHETHERE ACQUIRED BEFORE OR AFTER THE COMMENCEMENT OF THIS ACT-DEVOLUTION OF PROPERTY WILL TAKE PLACE SI-MULTANEOUSLY WITH THE DEATH OF PERSON.

न्यायिक दृष्टान्त 2020 आर.बी.जे.(27) पेज 684 एस.बी. सिविल रिविजन पिटिशन नम्बर 181/2018 बालमुकुन्द भाटिया व अन्य बनाम ललित उपाध्याय शास्त्री व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित फरमाया गया कि CIVIL PROCEDURE CODE 1908- Order 7 Rule 11 & Section 151-Vexatious plaint can be rejected under Section 151. [सिविल प्रक्रिया संहिता 1908- आदेश 7 नियम 11 व धारा 151- परिक्लेशकर वाद पत्र धारा 151 के तहत खारिज किये जा सकते हैं।] So far as the attempt made by the learned counsel for the petitioners seeking to raise plea of the suit in question being vexatious and requiring the Court to invoke powers under Section 151 CPC for rejecting the plaint is concerned, having gone through the entire facts of the case as presented by learned counsel for the petitioners, it cannot be said that merely because in the previous pending litigation between the parties, the injunction though granted to the Bal Mukund Bhatia V/s Lalit Upadhyay Shastri petitioner, has been set aside/stayed by this

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

Court, the subsequent suit would be vexatious. Therefore, the plea raised in this regard also apparently has no substance. Revision dismissed.

न्यायिक दृष्टान्त डी.एन.जे. 2017 (1) पेज 1 अनन्तपाल बनाम सुमेरसिंह में माननीय राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 पर सिद्धान्त प्रतिपादित फरमाया गया कि शीर्षक प्रकरण में तथ्य एवं विधि का कोई प्रश्न समाहित नहीं है इसलिये वादीगण का वाद **तुच्छ एवं परेशान करने वाला है।** इस प्रकार के वाद को प्रारम्भ से ही दबा देना चाहिये।

न्यायिक दृष्टान्त 2011(3) डीएनजे (राज0) पेज 1376 एस.बी. सिविल रिविजन पिटिशन नम्बर 58/2011 पार्श्वनाथ जैन मन्दिर ट्रस्ट बनाम अवतारसिंह निर्णय दिनांक 14.10.2011 में माननीय राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित फरमाया गया कि सिविल प्रक्रिया संहित, 1908- आदेश 7 नियम 11- शक्तियो का उपयोग- विचारण के समाप्त होने के पूर्व किसी भी स्तर पर शक्तियो का उपयोग किया जा सकता है।

न्यायिक दृष्टान्त 2012 डीएनजे (एस.सी.) पेज 734 सिविल अपील नम्बर 4841/2012 (अराईजिंग आउट ऑफ एसएलपी (सी) नम्बर 30632/2011) चर्च ऑफ चेरिस्ट चेरिटेबल ट्रस्ट एण्ड एज्युकेशनल चोरिटेबल सोसायटी बनाम मैसर्स पूनिमन एज्युकेशनल ट्रस्ट निर्णय दिनांक 03.07.2012 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिद्धान्त प्रतिपादित फरमाया गया कि (B) Civil Procedure Code, 1908- O-7, R-11- **Imp. Point-**(A) Power for rejection of the plaint can be exercised at any stage of the suit.

न्यायिक दृष्टान्त सी.जे. (सिविल) (एस.सी.) 2016(3) पेज 762 आर.के.रोजा बनाम यु.एस. राइडू व अन्य में माननीय सुप्रिम कोर्ट द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित फरमाया गया कि- वाद के निस्तारण से पूर्व आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना चाहिये। आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र सुनवाई के किसी भी प्रक्रम पर पेश किया जा सकता है। एक बार जब आवेदन पेश कर दिया जाता है तो न्यायालय को विचारण की कार्यवाही करने से पहले इसका निस्तारण करना चाहिये। आवेदन का निस्तारण किये बिना न्यायालय द्वारा विचारण की कार्यवाही नहीं की जा सकती एंव **यदि मामले में सम्पूर्ण वाद पत्र आदेश 7 नियम 11 "ए से एफ" सिविल प्रक्रिया संहिता की परिस्थितियो में आवरित होता है तो उस वाद को खारिज कर देना चाहिये।**

न्यायिक दृष्टान्त 2017(1) डी.एन.जे. (राज.) पेज 1 एस.बी. सिविल रिविजन पिटिशन नम्बर 38/2010 अनन्तपाल सिंह राजपूत बनाम सुमेरसिंह राजपूत व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित फरमाया गया कि- (क) सिविल

18/3/26

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रक्रिया आदेश 7 नियम 11, धारा 151-वादपत्र को खारिज करने हेतु प्रार्थना पत्र खारिज किया-विभाजन निषेधाज्ञा हेतु वाद गोद के आधार पर पेश किया-अन्य वाद में वादी ने गोद के बिन्दु पर दवाब नहीं दिया और एक प्रकरण में उसने एन.एस का गोद पुत्र घोषित करने हेतु पेश किया वाद वापस लिया-वादी स्वीकृतियों से बाहर नहीं जा सकता और आगे न्यायनिर्णयन करना आवश्यक नहीं है- गोद का निराधार व कल्पित अभिवाक-निर्णीत, वाद धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन भी खारिज होने योग्य है।

8. विद्वान अभिभाषक वादी ने प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान अभिभाषक के तर्को का पुरजौर विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या 2 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के स्कॉप व परिधी के अन्तर्गत नहीं आता है। वादी ने अपने वाद पत्र की मद संख्या 7 व 9 में वादकारण का वर्णन किया है तथा वादी का दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 92-क, 188 के तहत प्रस्तुत किया गया है जो अधिनियम की धारा 207 की तृतीय अनुसूची के तहत माननीय न्यायालय हाजा को श्रवण एवं निर्णीत करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के आवेदन के निस्तारण में केवल वाद पत्र में वर्णित प्रक्थनो को देखा जाना है। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत बचाव व आपत्तियों पर विचार नहीं किया जा सकता, इत्यादि तर्को के आधार पर प्रतिवादी संख्या 2 का उक्त प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज करने हेतु निवेदन किया गया।

9. हमने बहस पर चिन्तन, मनन व विचार किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन व अध्ययन किया। हमारी सुविचारित राय में आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के आवेदन का निस्तारण करने के लिए वाद पत्र में उल्लिखित प्रक्थनो को देखा जाना/विचार किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

10. वादी ने अपने वाद पत्र में इस आशय का कथन किया कि- राजस्व ग्राम बोरडा पटवार हल्का गठीला खेडा तहसील व जिला भीलवाड़ा की सरहद में आराजी सं. 1356 रकया 1.7829 हेक्टेयर (07 बीघा 01 बिस्वा) भूमि स्थित है।

उपरोक्त भूमि पूर्व में खातेदार डूंगर सिंह पुत्र दरियाव सिंह राजपूत के खातेदारी की थी। श्री डुंगर सिंह के निधन हो जाने के पश्चात् उक्त आराजी का नामान्तरण विरासत से बालु सिंह, गोविन्द सिंह पुत्र डूंगर सिंह, दशरथ कंवर, दलपत कंवर पुत्रियां डुंगर सिंह, पारस कंवर बेवा डुंगर सिंह राजपूत के नाम दर्ज हुई जिसमें से खातेदार गोविन्द सिंह पुत्र श्री डुंगर सिंह, दशरथ कंवर, दलपत कंवर पुत्रियां डूंगर सिंह, पारस कंवर बेवा डूंगर सिंह ने अपना 4/5 हिस्सा प्रतिवादी सं. 01 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से विक्रय कर दिया। इस कारण आराजी सं. 1356

8/3/26
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

का 4/5 हिस्सा प्रतिवादी सं. 01 के नाम राजस्व रेकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज हो गया।

प्रतिवादी सं. 01 गृहिणी महिला है एवं उसके पास आय का कोई जरिया नहीं है महिला के नाम विक्रयपत्र निष्पादित करा पंजीयन कराने में पंजीयन शुल्क कम लगता है इस कारण वादी जो कि प्रतिवादी सं. 01 का पति है, ने ही विक्रय प्रतिफल मूल्य अदा किया तथा वादी ने ही विक्रय पंजीयन में लगने वाला शुल्क अदा किया कहना का तात्पर्य यह है कि प्रतिवादी सं. 01 ने विक्रयपत्र निष्पादन के बाबत् कोई राशि खर्च नहीं की, केवलमात्र नुमाईशी तौर विक्रयपत्र प्रतिवादी से 01 के नाम निष्पादित किया गया, विक्रय प्रतिफल मूल्य एवं पंजीयन शुल्क की अदायगी वादी द्वारा ही की गई एवं कब्जा भी आराजी पर वादी का ही है।

प्रतिवादी सं. 01 के नाम वादी द्वारा उक्तानुसार विक्रयपत्र निष्पादित कराने के पश्चात् प्रतिवादी सं. 01 के व्यवहार में काफी बदलाव आ गया तथा प्रतिवादी सं. 01 वादी के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करने लग गयी तथा वादी के साथ अकारण ही लडाई झगडा करने लग गयी तथा वादग्रस्त उपरोक्त आराजी सं. 1356 के 4/5 हिस्से पर वादी के कब्जे, उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करने लग गयी जबकि प्रतिवादी सं. 01 ने उक्त आराजी में से 4/5 हक, हिस्सा क्रय करने में किसी प्रकार की कोई लागत नहीं लगाई तथा कोई राशि अदा नहीं की, समस्त लागत वादी ने लगाई है क्योकि प्रतिवादी सं. 01 गृहिणी महिला है तथा आय का कोई जरिया नहीं है केवलमात्र प्रतिवादी सं. 01 के नाम नुमाईशी तौर विक्रयपत्र वादी द्वारा पंजीकृत करवाया गया है।

प्रतिवादी सं. 01 के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया तथा दिनो दिन प्रतिवादी सं. 01 वादी के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करती रही। अन्तोगत्वा आज से करीब 03-04 वर्ष पूर्व प्रतिवादी सं. 01 वादी को छोडकर अपने पीहर निवास करने लग गयी तथा वादी के साथ दाम्पत्य जीवन का निर्वहन करने से इंकार कर दिया तब वादी ने प्रतिवादी सं. 01 से कहा कि वह वादी के साथ रहकर दाम्पत्य जीवन का निवहंन करें लेकिन प्रतिवादी सं. 01 ने अकारण ही वादी का परित्याग कर दिया तत्पश्चात् वादी ने प्रतिवादी सं. 01 से कहा कि उपरोक्त वादग्रस्त आराजी में से 4/5 हिस्सा जो उसके नाम कराया है उसे वापस वादी के नाम करावें तो कुछ समय तक तो प्रतिवादी सं. 01 आराजी को वादी के नाम करवाने बाबत् सहमति दे दी एवं कहा कि जल्द ही आराजी वादी के नाम करा दूंगी लेकिन बाद में वादी के नाम कराने में आनाकानी करने लग गयी तथा

18/3/26

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

आराजी को अन्य को विक्रय करने की धमकी देने लग गयी जबकि कब्जा आराजी पर कभी भी प्रतिवादी सं. 01 का नहीं रहा है कब्जा आराजी क्रय करने की दिनांक से ही वादी का चला आ रहा है क्योंकि वादी द्वारा ही प्रतिफल राशि अदा की गई तथा विक्रयपत्र पंजीयन की राशि भी वादी द्वारा अदा की गई थी।

उक्तानुसार प्रतिवादी सं. 01 ने वादी के हक में वादग्रस्त आराजी सं. 1356 को वादी के नाम नहीं कराया तथा वादी को जानकारी दिये बिना तथा वादी की सहमति एवं स्वीकृति के बिना उक्त वर्णित आराजी सं. 1356 का 4/5 हिस्सा जो वादी द्वारा क्रय किया गया था केवलमात्र विक्रयपत्र प्रतिवादी सं. 01 के नाम निष्पादित करने एवं राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी सं. 01 का नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाते हुए प्रतिवादी सं. 01 ने उक्त आराजी सं. 1356 में से 4/5 हिस्सा प्रतिवादी सं. 02 को दिनाक 18/07/2023 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र विक्रय कर दिया हालांकि कब्जा वर्तमान में भी वादी के पास ही है तथा आराजी वादी के कब्जे अधिकार में है है लेकिन प्रतिवादी सं. 2 के नाम विक्रयपत्र निष्पादित कर दिये जाने से आराजी राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी सं 02 के नाम दर्ज हो गयी है।

अभी हाल ही में दिनांक 18/07/2024 को प्रतिवादी सं. 02 मौके पर आया तथा वादी के कब्जे उपयोग उपभोग में दखल उत्पन्न करने लगा तथा कहने लगा कि उसने आराजी रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से क्रय की है तब वादी ने प्रतिवादी सं. 02 को कहा कि प्रतिवादी सं. 1 को आराजी विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि प्रतिवादी से 01 द्वारा उक्त आराजी क्रय करने में कोई राशि खर्च नहीं की है तथा न ही कब्जा प्रतिवादी से 01 का है इस कारण ऐसे विक्रयपत्र से प्रतिवादी सं. 02 को भी कोई हक, अधिकार प्राप्त नहीं होते है तथा प्रतिवादी सं. 02 के हक में निष्पादित विक्रयपत्र दिनांकित 18/07/2023 वादी के मुकाबले शुन्य, अवैध एवं प्रभावहीन घोषित होने योग्य है लेकिन प्रतिवादी सं. 02 किसी प्रकार मानने को तैयार नहीं है तथा प्रतिवादी सं. 02 ने आराजी पर जबरन तौर कब्जा करने एवं वादी को बेदखल करने तथा आराजी को अन्य को विक्रय, हस्तान्तरित, खुर्द बुर्द एवं भारित करने की धमकी दी है।

प्रतिवादी सं. 01 के नाम केवलमात्र नुमाईशी तौर विक्रयपत्र निष्पादित किया गया था जिस कारण प्रतिवादी सं. 01 को कोई हक, अधिकार आराजी को विक्रय करने बाबत् नहीं थे फिर भी वादी को

18/3/26

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

जानकारी दिये बिना तथा वादी की सहमति स्वीकृति बिना वादग्रस्त आराजी सं. 1356 में से 4/5 हिस्से को प्रतिवादी सं. 01 द्वारा प्रतिवादी सं. 02 को विक्रय कर दिया तथा प्रतिवादी सं. 02 ने भी आराजी पर कब्जा करने तथा आराजी को अन्य को विक्रय, हस्तान्तरित. खुर्द बुर्द एवं भारित करने की धमकी दी है इस कारण वादी को प्रतिवादी सं. 01 द्वारा प्रतिवादी सं 02 के हक में निष्पादित विक्रयपत्र दिनांकित 18/07/2023 जो उपपंजीयक कार्यालय, भीलवाडा के यहां पंजीकृत हुआ है को वादी के मुकाबले शुन्य, अवैध एवं प्रभावहीन घोषित किये जाने की घोषणा कराये जाने तथा प्रतिवादी सं. 02 द्वारा आराजी को अन्य को विक्रय, हस्तान्तरित. खुर्द बुर्द एवं भारित नहीं करने तथा वादी के कब्जे उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करने की स्थायी निषेधाज्ञा बाबत् यह वादपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध बिनाय वाद दिनांक 18/07/2024 से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

प्रतिवादी सं. 03 एवं 04 राजकीय निकाय है जिनके विरूद्ध वादपत्र प्रस्तुत करने से पूर्व दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है लेकिन वादपत्र आवश्यक प्रकृति का होने से नोटिस दिये बिना ही प्रस्तुत किया जा रहा है जिसकी अनुमति हेतु धारा 80 (2) सी.पी. सी. का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है।

वादग्रस्त आराजी ग्राम बोरडा पटवार हल्का गठीला खेडा तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित होने से वादपत्र न्यायालय श्रीमान के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकारिता का है।

वादपत्र अन्दर अवधि नियत न्याय शुल्क पर पेश है। वादपत्र की पुष्टि में शपथपत्र पेश है।

अत: सादर निवेदन है कि

1. वादी के पक्ष में प्रतिवादी सं. 01 एवं 02 के विरुद्ध इस आशय की घोषणा की डिक्री पारित फरमायी जायें कि प्रतिवादी सं. 01 द्वारा प्रतिवादी सं. 02 के हक में निष्पादित विक्रयपत्र दिनांकित 18/07/2023 जो उपपंजीयक कार्यालय, भीलवाडा के यहां पंजीकृत हुआ है वह वादी के मुकाबले शुन्य अवैध एवं प्रभावहीन है तथा उक्त आशय का इन्द्राज उपपंजीयक कार्यालय भीलवाडा में भी लगाये जाने की डिक्री पारित फरमायी जायें।

18/3/26

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

2- कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित फरमायी जावें कि प्रतिवादी सं. 02 आराजी सं. 1356 को अन्य को विक्रय, हस्तान्तरित, खुर्द बुर्द एवं भारित नही करें, वादी के कब्जे उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करें न किसी अन्य से करावें तथा प्रतिवादी सं. 03 एवं 04 राजस्व रेकार्ड यथास्थिति बनाये रखे।

3- कि हर्जा, खर्चा मुकदमा मय मेहनताना वकील एवं अन्य अनुतोष जो न्यायालय श्रीमान् दिलाया जाना उचित समझे वह भी दिलाया जायें।

11- वाद पत्र के अवलोकन से प्रकट हुआ कि यह स्वीकृत स्थिति है कि ग्राम बोरड़ा पटवार हल्का गठीलाखेड़ा में स्थित आराजी संख्या 1356 रकबा 1.7829 हेक्टेयर (7 बीघा 1 बिस्वा) भूमि पूर्व खातेदार डूंगरसिह के वारिसान में से गोविन्दसिंह पुत्र डूंगरसिंह, दशरथ कंवर, दलपत कंवर पुत्रियां डूंगरसिंह, पारस कंवर बेवा डूंगरसिंह ने अपना 4/5 हिस्सा प्रतिवादी सख्या 1 श्रीमती रामकन्या पत्नी शिवलाल जाट पुत्री हीरालाल जाट निवासी जोधामण्डेल का खेड़ा को रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से विक्रय कर दिया जो उसके नाम पर राजस्व अभिलेख में बतौर खातेदार दर्ज हो गयी। प्रतिवादी सं. 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 को आराजी नम्बर 1356 के 4/5 हक हिस्से की भूमि को दिनांक 18-07-2023 को विक्रय कर विक्रयपत्र का पंजीयन प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में करा दिया था! यह भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज हो गयी है।

हमारी सुविचारित राय में प्रतिवादी संख्या विवादित सम्पत्ति प्रतिवादिया संख्या 1 की स्व-अर्जित सम्पत्ति थी और प्रतिवादिया संख्या 1 को अपनी स्वअर्जित सम्पत्ति का हर प्रकार से उपयोग उपभोग करने, विक्रय, हस्तान्तरण, अनुबन्ध, बख्शीश, वसीयत, रहन, मोरगेज इत्यादि करने के समस्त विधिक अधिकार प्राप्त थे और प्रतिवादिया संख्या 1 ने अपने विधिक अधिकारो का प्रयोग करते हुए प्रतिवादी संख्या 2 को अपनी खातेदारी व कब्जे काश्तशुदा कृषि भूमि को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये विक्रय किया है तथा रजि0 विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी संख्या 2 के हक में नामान्तरकरण स्वीकृत होकर खातेदारी प्रविष्टियां दर्ज रिकार्ड हुई है। जब तक सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त घोषित नहीं करवा लिया जाता है तब तक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र व उसके आधार पर दर्ज खातेदारी प्रविष्टियों पूर्णतया वैध व प्रभावशील है। वादी ने प्रतिवादिया संख्या 1 के विरुद्ध यह आरोप लगाया कि प्रतिवादिया संख्या 1 वादी के साथ दाम्पत्य जीवन का निर्वहन नहीं कर रही है। हमारी सुविचारित राय में इस आधार पर वादी को हस्तगत वाद प्रस्तुत करने का वादहेतुक भी उत्पन्न नहीं होना माना जायेगा।

18/3/26

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

दाम्पत्य जीवन निर्वहन न करने के आधार पर प्रतिवादिया संख्या 1 के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज खातेदारी प्रविष्टियों को चुनौती देने का कोई विधिक अधिकार वादी को प्राप्त नहीं है। वादी को हिन्दु विवाह अधिनियम की धारा 9 में दाम्पत्य जीवन की पुर्नस्थापना हेतु उपचार उपलब्ध है। वादी का वाद एक तुच्छ वाद की श्रेणी में आता है जो परेशान करने वाला वाद है जिसको इसी स्तर पर दबा देने की विधिक एवं न्यायिक मंशा है।

वादी ने मुख्य अनुतोष यह चाहा कि- वादी के पक्ष में प्रतिवादी सं. 01 एवं 02 के विरुद्ध इस आशय की घोषणा की डिक्री पारित फरमायी जायें कि प्रतिवादी सं. 01 द्वारा प्रतिवादी सं. 02 के हक में निष्पादित विक्रयपत्र दिनांकित 18/07/2023 जो उपपंजीयक कार्यालय, भीलवाडा के यहां पंजीकृत हुआ है वह वादी के मुकाबले शुन्य अवैध एवं प्रभावहीन है तथा उक्त आशय का इन्द्राज उपपंजीयक कार्यालय भीलवाडा में भी लगाये जाने की डिक्री पारित फरमायी जायें। हमारी सुविचारित राय में राजस्व न्यायालय को रजि0 विक्रय पत्र दिनांकित 18.07.2023 को अवैध व प्रभावहीन घोषित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। उक्त अनुतोष सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा विचारणीय है। वादी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 92-क, १८८ के तहत दावा प्रस्तुत किया है परन्तु अधिनियम की धारा 88, 89, 92-क के अन्तर्गत कोई अनुतोष नहीं चाहा है। वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष अधिनियम की धारा 207 की तृतीय अनुसूची की परिधी एवं स्कॉप के अन्तर्गत नहीं होने के कारण वादी का दावा तुच्छ व परेशान करने वाला वाद है जो धारा 151 सी0पी0सी0 के तहत खारिज किये जाने की विधिक एवं न्यायिक मंशा है।

निष्कर्षतः प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाता है तथा वादी का वाद वादहेतुक एवं क्षेत्राधिकार विहिन होने के साथ-साथ तुच्छ वाद व परेशान करने वाला वाद होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

पक्षकारान् खर्चा मुकदमा अपना-अपना वहन करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18/3/26 को सरे इजलास में सुनाया गया।

18/3/26

अरूण कुमार जैन
सहायक कलक्टर
आर.ए.एस.
भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 6-7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः- अरूण कुमार जैन (आर.ए.एस.)

राजस्व मूल वाद संख्याः- 729/2024
जीसीएमएस नम्बर :-2024/01671

शिवलाल पुत्र श्री शंकर लाल जाट, उम्र वयस्क, निवासी जोधामण्डेल का खेडा, ट्रांसपोर्ट नगर, भीलवाडा (राज.)

----वादीगण

-: बनाम :-

1- श्रीमती रामकन्या पत्नी श्री शिवलाल जाट पुत्री श्री हीरालाल जाट, उम्र 31 वर्ष निवासी जोधामण्डेल का खेडा, ट्रांसपोर्ट नगर, भीलवाडा (राज.) हाल निवासी तेजाजी चौक के पास, भीलवाडा।
2- धर्मराज गुर्जर पुत्र श्री सोहनलाल गुर्जर, उम्र वयस्क, निवासी भालोटा की खेडी, तहसील राशमी, जिला चितौडगढ।
3- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाडा।
4- उपपंजीयक, भीलवाडा।

----प्रतिवादीगण

वादपत्र बाबत घौषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 89 ,92-क, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कत्तई रूबरू दावा व हाजिरी 18/3/26 मिनजानिब मुद्धई रूबरू ----18/3/26--- मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि-

निर्णय में वर्णितानुसार विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाता है तथा वादी का वाद वादहेतुक एवं क्षेत्राधिकार विहिन होने के साथ-साथ तुच्छ वाद व परेशान करने वाला वाद होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

18/3/26

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

पक्षकारान् खर्चा मुकदमा अपना-अपना वहन करे।

निज---- मुबलिग-------- बाबत् ------ खर्चा इस मुकदमा के मय सूद बशरह------फीसदी सालाना/आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ------------ को अदा करे।

तब मेरे दस्तखत मुहर अदालत के आज दिनांक 18/3/26 को जारी की गई।

मुहर
ओहदा

18/3/26
अरूण कुमार जैन
सहायक कलक्टर
आर.ए.एस.
भीलवाड़ा
सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	-	-	स्टाम्प अर्जीदावा	-	-
स्टाम्प वकालतनामा	-	-	स्टाम्प वकालतनामा	-	-
स्टाम्प वजह सबूत	-	-	स्टाम्प वजह सबूत	-	-
महनताना वकील	-	-	महनताना वकील	-	-
खर्चा गवाहान	-	-	खर्चा गवाहान	-	-
फीस कमिशनर बाबत् इजराय	-	-	फीस कमिशनर बाबत् इजराय	-	-
हुक्मनामा	-	-	हुक्मनामा	-	-
मुतफरिक	-	-	मुतफरिक	-	-
मीजान	-	-	मीजान	-	-

मुहर

18/3/26
अरूण कुमार जैन
सहायक कलक्टर
आर.ए.एस.
भीलवाड़ा
सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा